

pan>

Title: Introduction of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) (Amendment) Bill, 2018 (*Amendment of section 56, etc.*).

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.”

The motion was adopted.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।